

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर
पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 111/2022

धीसाराम पुत्र रामधन-फौत के बजाय कायम मुकायाम:-

1/1- गोपाल लाल पुत्र धीसाराम

1/2- सीताराम पुत्र धीसाराम

समस्त जाति कुमावत निवासी ढाणी नागान तहसील जोबनेर जिला
जयपुर राज0

-वादी

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र रामदेव
2. श्रवण कुमार पुत्र रामदेव
3. देवीलाल पुत्र हीरालाल

समस्त जाति कुमावत निवासी ढाणी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर
राज0

4. पी0एन0बी0 बैंक शाखा जोबनेर जरिये प्रबन्धक
5. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :- 1. श्री लोकेश शर्मा वकील वादीगण


2. श्री बिरदी चंद वर्मा वकील प्रतिवादी सं0 प्रतिवादी

दिनांक :- 21/05/2022




निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 651 रकवा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 652/1 रकवा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 652/2 रकवा 1 बिस्वा वाकै ग्राम ढाणी नागान तहसील जोबनेर में स्थित है। आराजी पक्षकारान के सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 व 2 का संयुक्त 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 का 1/4 हिस्सा है जो इसी प्रकार उपरोक्त आराजीयात में संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उक्त आराजीयात को काशत करते आ रहे हैं। उक्त वादग्रस्त


उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर


आराजी के पश्चिम दिशा में जोबनेर से चिरनोटिया जाने वाली सड़क है तथा उत्तर दिशा में ढाणी में जाने वाला रास्ता है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पक्षकारान की अविभाजित आराजी है जिसका विधिक रूप से विभाजन नहीं हो रखा है तथा प्रत्येक खातेदार काश्तकार का प्रत्येक इंच पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। वादी व प्रतिवादी सं० 1ल० 2 ने संयुक्त रूप से आराजी खसरा नं० 651 में एक कुए का भी निर्माण किया था जो पूर्व से बना हुआ था जिसमें विद्युत कनेक्शन संयुक्त रूप से ले रखा था। उक्त कुए में पानी खत्म हो जाने से एक नया कुआ 30-35 वर्ष पूर्व संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादी सं० 1 लगा० 3 ने बनाया था और शामिल में विद्युत कनेक्शन भी लिया गया था, पानी खत्म होने से दोनो कुए बंद हो चुके है। वादी ने प्रतिवादी सं० 1 लगा० 3 को कई बार वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी/बाई मिट्स एण्ड बोन्डस के सिद्धान्त के आधार पर विभाजन करवाने को कहा परन्तु प्रतिवादी सं० 1लगा० 3 ने भूमि का विधिक विभाजन नहीं करवाया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1ल०3 की नियम में फितूर उत्पन्न हो गया है तथा मनमर्जी से अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा कर तथा रोड फ्रंट वाली जमीन पर बिना विधिक विभाजन करवाये निर्माण कार्य करवाने को उतारू है। जब वादी ने प्रतिवादी सं० 1लगा०3 को विधिक विभाजन करवाने के पश्चात ही अपने हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य करने को कहा तो प्रतिवादी सं० 1लगा०3 इंकार हो गये तथा वादी को धमकी दी कि वे कोई विभाजन नहीं करवायेगे और रोड फ्रंट की जमीन अपने हिस्से में लेकर वादी को उसके हक व हिस्से से बेदखल करके कब्जा कर लेंगे, जिससे वादी को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी/बाई मिट्स एण्ड बोन्डस के सिद्धान्त के आधार पर डिक्री फरमायी जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1,2 व 3 मय अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का मौखिक रूप से वर्षों पूर्व पक्षकारान में विभाजन हो चुका है, जिस पर मौके के कब्जे काश्त के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 3 काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने हिस्से को काफी उन्नत व विकसित कर रखा है। दिनांक 10.04.19 का वाका वादी ने कतई गलत अंकित किया है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि रिकार्डेड


 उपसूचक अधिकारी
 जोबनेर, जयपुर

खातेदार काशतकार है उनको पाबंद करवाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी 1 व 2 कोई रोड फंट की भूमि पर कब्जा नहीं करना चाहते है ना ही वादग्रस्त आराजी की किस्म को परिवर्तन किया जा रहा है। बल्कि प्रतिवादी सं० 1 व 2 वर्षों पूर्व आपसी सहमति से हुये विभाजन के आधार पर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काशत चले आ रहे है और भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादी को कोई वादकारण विरुद्ध प्रतिवादी सं० 1 व 2 उत्पन्न नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि पर मौके पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काशत है जिसका मौके के कब्जे काशत के अनुसार विभाजन विधिक रूप से किया जाना न्यायोचित है लेकिन बाई मिट्स एण्ड/बुरी में से बुरी व अच्छी में से अच्छी के सिद्धांत पर उक्त भूमि का विभाजन किया जाना कतई न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने काफी रूपये लगाकर अपने हिस्से में आयी भूमि को उन्नत व विकसित कर रखा है। इसलिए मौके के कब्जे के अनुसार नक्शे कुरेजात मंगवाये जाने के पश्चात् ही विधिक रूप से विभाजन किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब दावा इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नं० 651 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं० 652/1 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं० 652/2 रकबा 1 बिस्वा वाकै ग्राम ढाणी नागान जो जोबनेर से चिरनोटिया ग्राम जाने वाली सडक पर स्थित है, में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा अंकित है एवं वादी का 1/2 हिस्सा अंकित है लेकिन मौके पर उसका कब्जा न होकर उस द्वारा अवैधानिक रूप से स्कूल निर्मित करके संचालित कराई गयी एवं उसको बंद करके अब स्कूल के स्थान पर पशु चिकित्यालय संचालित कर रहा है एवं उन्हे वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया लिहाजा आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने के कारण यह दावा maintainable नहीं है। इसके साथ ही वादी ने तथ्यों को छुपाकर यह वाद स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया जिसकी जांच तहसीलदार भू-अभिलेख जो भूमिधारी है की जांच के उपरान्त ही पता चलेगा कि वस्तुस्थिति क्या है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 श्रवण कुमार ने मौके पर आवासीय मकान निर्मित करके उसका उपयोग व उपभोग कर रहा है एवं मूलचन्द प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना विधिवत बंटवारे के वादग्रस्त भूमि पर दुकान व शिव मन्दिर का निर्माण कर रखा है इसकी भी जांच भूमिधारी से होना आवश्यक है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने मनमर्जी से बिना बंटवारे के वादग्रस्त भूमि में स्थाई निर्माण कर रखे है एवं इन तथ्यों का उल्लेख वाद पत्र में नहीं किया है जिससे सहज ही पता चलेगा कि तथ्यों को नजर अन्दाज करके वाद प्रस्तुत किया गया है एवं खातेदारान का संयुक्त


उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

रूप से कब्जा नहीं है। वादी घासीराम वादग्रस्त भूमि पर काबिज काशतकार नहीं है एवं वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से दुरभि सन्धि करके यह वाद प्रस्तुत किया है। दिनांक 10.04.2019 को वादग्रस्त भूमि में अच्छी किरम की भूमि पर कब्जा कर निर्माण करवाने की गरज से युद्ध स्तर पर निर्माण सामग्री डलवाकर रोड फंट वाली भूमि पर निर्माण चालू कर दिया है ये तथ्य बेबुनियाद व गलत है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काशत ही नहीं है तो उसे बेदखल करने का प्रश्न ही नहीं उठता एवं धमकी की बात भी गलत अंकित है। वादी स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करना चाहता है लेकिन उसका मौके पर कोई कब्जा नहीं है, न ही वह वादग्रस्त भूमि पर आवास करके रह रहा है, ऐसी सूरत में जब वादी का कब्जा ही नहीं है तो वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री का वाद फाईल नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस वाद को इसी स्टेज पर खारिज किया जावे अथवा संशोधित वाद पेश करने के लिए पाबन्द किया जावे।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने वाद में दर्ज तथ्यों का दोहरान किया तथा शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी के लगवा सिवायचक भूमि मे पूर्व से स्कूल का भवन था तथा वर्तमान मे उक्त भवन में पशु चिकित्सालय संचालित है। यदि उक्त भवन अथवा उसका जितना भाग उक्त विवादीत आराजी में आता है तो उक्त आने वाले भवन की आराजी वादीगण की आराजी में से कम कर नक्शे कुरेजात बनाये जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब दावा में उठाये गये उज्र के संबंध में वादीगण द्वारा शपथ पत्र पेश कर न्यायालय का पूर्ण रूपेण समाधान किया है कि यदि विवादीत भूमि में कोई हिस्सा पशु चिकित्सालय के रूप में काम आ रहा है तो उक्त हिस्से की भूमि वादीगण के हिस्से में से कम कर दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाब दावे में उठाये गये उज्र कि पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काशत होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने हिस्से की भूमि का काफी उन्नत व विकसित कर रखा है। पक्षकारान द्वारा अपने-अपने हिस्से करवाये गये पुख्ता निर्माण पक्षकारान के हिस्से में रखते हुए भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् विभाजन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद दिनांक 08.08.2024 को वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पक्षकारान द्वारा अपने-अपने हिस्से

ds
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

करवाये गये पुख्ता निर्माण पक्षकारान के हिस्से में रखते हुए भूमि का वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के अनुसार प्राथमिक डिक्री किया गया।

प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.08.2024 की पालना में तहसीलदार, जोबनेर द्वारा दिनांक 24.09.2024 को कुरेजात तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये।


तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 24.09.2024 के संबंध में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा आपत्ति पत्र विरुद्ध कुरेजात इस आशय की पेश कि गयी कि माननीय न्यायालय मे विचाराधीन वाद जिसमे प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 10 नियम 01 (1)(2) जो उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे वादी ने खुद अपने हिस्से की जमीन में से विद्यालय के लिए जमीन दान की थी जिसका नाम भामासाह के रूप मे विद्यालय परिसर में बोर्ड पर लिखवाया गया था जिसकी छाया चित्र उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी ने न्यायालय मे पेश किये थे जिसमे वर्तमान में पशु चिकित्सालय चल रहा है। प्रार्थना पत्र आदेश 10 नियम 01 को बिना समुचित सुनवाई के दिनांक 02.08.2024 को खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी की प्रार्थना यह है कि सीताराम व गोपाल पुत्र स्व. घीसाराम के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र जो देरीना पेश किया था उसे भी बिना सुनवाई के मंजूर कर दिया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी इतना ही चाहते है कि घासीराम एवं उसके वारिसान सीताराम व गोपाल पुत्र स्व० घीसाराम को बंटवारे मे वही जमीन दी जाये और जिस तरफ प्रार्थी/प्रतिवादी काबिज है उधर प्रार्थी/प्रतिवादी को बंटवारे मे भूमि दी जावे।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि दिनांक 02.08.2024 के न्यायालय के आदेश के परिपेक्ष्य में जो दिनांक 23.09.2024 को पटवारी एवं गिरदावर हल्के ने कुरेजात बनाये है वो बिना सुनवाई के बनाये है एवं मौके की स्थिति के विपरीत बनाये है उक्त कुरेजात रिपोर्ट को निरस्त की जावे एवं पशु चिकित्सालय चल रहा है उस भूमि को सीताराम व गोपाल के हिस्से मे दी जाकर जिस तरफ वो काबिज है उसी तरफ पुनः भूमि दी जावे। कुरेजात पर आपत्ति के संबंध मे प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा०दी० इस आशय का पेश किया गया है कि जो नक्शे कुरेजात तहसीलदार जोबनेर ने अपने पत्र क्रमांक एलआर/24/3642 दिनांक 24.09.2024 को प्रस्तुत किये गये है उनमे उक्त वादीगण क शपथ पत्र दिनांक 02.08.2024 मे विवादित भूमि के बारे में समाधान नहीं किया गया एवं ना ही उक्त भूमि वादी के हिस्से में दी गई है। अतः निवेदन है कि अन्तिम डिक्री पारित करने के पूर्व न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.08.2024 की अनुपालना में नवीन कुरेजात मंगवायी जावे।

dsc
उपज्जण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात की प्रति अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण को दिलाई गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रतिवादी की ओर से जो प्रार्थना पत्र आदेश 10 नियम 01 (1)(2) प्रस्तुत किया गया था उसकी बहस हेतु प्रतिवादी को काफी अवसर देने पर भी उपस्थित नहीं होने पर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इसी प्रकार कायम मुकामान प्रार्थना पत्र भी प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब नहीं देने पर वाद सुनवाई स्वीकार किया गया है। वाद में प्रार्थना पत्र आदेश 10 नियम 1 व कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किये जाने के पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार प्रतिवादी/प्रार्थी को प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादी उक्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में पारित आदेशों से व्यथित है तो नियमानुसार अपील/रिविजन किये जाने का प्रावधान है। वाद में प्राथमिक डिक्री किये जोन के पश्चात जो नक्शे कुरेजात तैयार किये गये हैं वे तहसीलदार महोदय जोबनेर के द्वारा समुचित विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये व उभय पक्षों को सुनवाई को सूचित कर उनकी उपस्थिति में तैयार किये गये हैं। नक्शे कुरेजात में प्रतिवादीगण को उनके कब्जे की भूमि दी गई है तथा वादीगण को उनके कब्जे की भूमि दी गई है। जहां प्रतिवादीगण ने अपने मकान आदि बना रखे हैं उक्त भूमि प्रतिवादीगण को ही दी गई है एवं पशु चिकित्सालय के पास वाली भूमि वादीगण के हिस्से में दी गई है प्रतिवादीगण वाद में देरी करने की नियत से व वादग्रस्त भूमि का विधि अनुसार विभाजन नहीं करवाये जाने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस अधिवक्ता उपभक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नक्शा कुरेजात में पशु चिकित्सालय भी भूमि जो वर्तमान में स्कूल संचालन के काम में आ रही है एवं वो भूमि वादी घीसाराम एवं उनके वारिसान की है। उस हिस्से को कुरेजात में घीसाराम के हिस्से में शामिल नहीं किया गया तथा जो हिस्सा स्कूल एवं वर्तमान पशु चिकित्सालय के उपयोग में आ रहा है उस हिस्से के अलावा बचा हुआ है एवं जो जोबनेर चिरनोटिया रोड पर है उस फ्लॉट का आधा हिस्सा करके वादीगण घीसाराम वगै० को कुरेजात रिपोर्ट में उसकी स्वीकारोक्ति के विपरीत एवं माननीय न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.08.2024 के विपरीत कुरेजात तैयार की गई जिस पर प्रतिवादीगण को भारी आपत्ति है। वादी को पशु चिकित्सालय की भूमि शामिल करते हुए कुरेजात तैयार करके 1/2 हिस्सा दिया जाना चाहिए था



उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, खयथुर

जो नहीं दिये जाने के कारण कुरेजात रिपोर्ट प्रतिवादीगण को अमान्य है। वादी ने पहले उरा जमीन में पशु चिकित्सालय के अलावा अपने हिस्से में जमीन खोदकर पानी निकालने का कार्य भी किया है पानी का टैंक भी बनाया है तो वो हिस्सा भी कुरेजात रिपोर्ट में वादीगण के हिस्से में जाना चाहिए। वादीगण की सहमति के बावजूद कुरेजात रिपोर्ट नहीं बनाये। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दाने दिनांक 02.05.2019 में वादी द्वारा स्कूल संचालित करना एवं तत्पश्चात उड़ी भूमि पर पशु चिकित्सालय संचालित करना बताया था जिसके प्रमाण में भौके के फोटोग्राफ्स सलंगन है जिसमें धारीराम बतौर भामाशाह राजकीय प्राथमिक विद्यालय के फ्रंट गेट पर लिखा हुआ है। पक्षकारों के मध्य जीवनेर से विरगोटिया रोड पर जो आराजी खसरा नंबर 652 का फ्रंट है उसके हिस्से को लेकर विवाद है एवं यह स्वीकृत तथ्य है कि धारीराम ने अपने हिस्से की भूमि दान कर रखी है, खान खोद रखी है, वाटर टैंक बना रखा है तो यह भूमि उसके कुरेजात में नहीं देना गैर कानूनी है एवं विधि विरुद्ध है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने बहस एवं तथ्यों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए—

1. राजस्व मण्डल अजमेर, अपील डिक्री/टीए/5983/2022/2023/ मरतपुर जवान सिंह बनाम हरि सिंह 2022 RBJ 726
2. राजस्व मण्डल अजमेर, अपील डिक्री/टीए/2449-2022/ पाली बाबूलाल बनाम मंगला राम 2023 RBJ 418



अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का ही दोहरान किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 10 नियम 01 (1)(2) प्रस्तुत किया गया था उसकी बहस हेतु प्रतिवादी को काफी अवसर देने पर भी उपस्थित नहीं होने पर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इसी प्रकार कायम मुकामान प्रार्थना पत्र भी प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब नहीं देने पर बाद सुनवाई स्वीकार किया गया है। वाद में प्रार्थना पत्र आदेश 10 नियम 1 व कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किये जाने के पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार प्रतिवादी/प्रार्थी को प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादी उक्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में पारित आदेशों से व्यथित है तो नियमानुसार अपील/रिविजन किये जाने का प्रावधान है। वादीगण द्वारा शपथ पत्र इस आशय का पेश किया गया था कि वादग्रस्त आराजी से लगवा सिवायचक भूमि में पूर्व में स्कूल का भवन था तथा वर्तमान में उक्त भवन में पशु चिकित्सालय संचालित है यदि उक्त भवन अथवा उसका जितना भाग उक्त वादग्रस्त आराजी में आता है तो उक्त आने वाले भवन की आराजी वादीगण/शपथग्रहीता की आराजी से कम कर नकशे कुरेजात बनाये


 उन्वन्ध अधिकारी
 अजमेर, जयपुर

जाते हैं तो शपथग्रहीता को कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु उक्त स्कूल भवन/वर्तमान चिकित्सालय भवन सिवायचक भूमि पर निर्मित है, वादग्रस्त आराजी में निर्मित है, ऐसी स्थिति में वादीगण के हिस्से की भूमि से उक्त भूमि कम किया जाना न्यायोचित नहीं है, इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे तथा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट के वादीगण का वाद अंतिम डिक्री फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन-मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। जहां तक प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 10 नियम 01 (1)(2) एवं वादी के कायम मुकामान स्वीकार करने पर आपत्ति का सवाल है, तो उक्त संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा राक्षम स्तर पर अपील कि जाने चाहिए थी, कुरेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्यों का उठाया जाना विधि संगत नहीं है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि प्रदान की गयी है। तथा न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर तैयार किये गये हैं, ऐसी स्थिति में खातेदारान के मध्य फ्रंट भूमि से संबंधित विवाद होना प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात खारिज किया जाता है तथा वादीगण का वाद तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 24.09.2024 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 24.09.2024 निर्णय का भाग रहेंगे।

वाकै ग्राम ढाणी नागान

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	गोपाललाल, सीताराम पुत्र घासीराम जाति कुमावत सा.देह व.हि.व	651	0.0253	गै.मु.चाह
		बी/652/1	1.0811	चाही ए
		किता-02	1.1064	
2.	देवीलाल पुत्र हीरालाल हि. 1/2 जाति कुमावत सा.देह राहिन पी.एन.वी शाखा जोबनेर मुर्तहीन मूलचन्द श्रवणकुमार पुत्र रामदेव हि. 1/2 जाति कुमावत सा. देह	652/2	0.0126	गै.मु.चाह
		ए/652/1	1.0938	चाही ए
		किता-02	1.1064	



U.S.C.
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि गुताविक डिक्री कुरेजात दिनांक 24.09.2024 राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहसीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 24.09.2024 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।



(देवेन्द्र सिंह चौधरी)
उपखाना अधिकारी
जोबनेर, जयपुर